हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

द्वितीय सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 21

वीरवार, 5 अप्रैल, 2018/15 चैत्र, 1940(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री जगत सिंह नेगी, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि हमारे जो मैटर्ज़ थे उन पर चर्चा नहीं हुई।

इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा -

"नेगी जी, मैं इसके बारे में आपको बताता हूं, आप बैठिए। आपने दो विषय रखे थे। पहला था परिसर के अन्दर झंडे इत्यादि ले कर आना। उसके लिए बाकायदा मीटिंग करके सुरक्षा कर्मियों और विधान सभा के सभी लोगों को हिदायत दे दी गई है।

दूसरा विषय आपने रखा था - बजट के दौरान बजट स्पीच की लाइव टैलिकास्ट की अनुमति देना। उसके लिए विशेष रूप से मेरे द्वारा लाइव टैलिकास्ट की अनुमति ETV को दी गई थी। परन्तु सदन के अन्दर से क्योंकि लाइव टैलिकास्ट की अनुमति नहीं है इसलिए लाइब्रेरी में जो टी0वी0 है, वहां से पिछली बार भी उनको अनुमति दी गई थी, इस बार भी वहीं से अनुमति दी गई। माननीय मुख्य मंत्री जी का सोशल मीडिया श्री किशोर जी देखते हैं, उनको भी वहीं से अनुमति दी गई थी। वह

अनुमित मेरे द्वारा ही दी गई थी, जिसकी लिखित कॉपी मैं आपको सप्लाई कर दूंगा।"

माननीय अध्यक्ष की व्यवस्थात्मक टिप्पणी पर श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता कांग्रेस विधायक दल ने असहमति प्रकट की। उन्होंने कहा कि अब तो फोटोग्राफर द्वारा रोज़ाना सदन के भीतर मुख्य मंत्री की फोटो खींच कर जारी की जा रही है। इस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अपनी बात रखते हुए कहा कि पिछले काफी लम्बे समय से सदन के भीतर फोटोग्राफर द्वारा माननीय मुख्य मंत्री तथा सदन के फोटो लेने की प्रक्रिया जारी है तथा यह कोई नई परिपाटी नहीं है जिसे अभी आरम्भ किया गया हो। कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों ने माननीय अध्यक्ष द्वारा दी गई व्यवस्था एवं संसदीय कार्य मंत्री की टिप्पणी का विरोध किया।

(**11.10 बजे अपराह्न कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन किया।**)

माननीय मुख्य मंत्री ने बहिर्गमन को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसकी भर्त्सना एवं निंदा की।

माननीय अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन तथा नारेबाजी की इस घटना पर अपना मंतव्य प्रकट करते हुए कहा -

"आज जिस प्रकार की घटना अभी इस मान्य सदन में हुई है यह चिन्ताजनक है। बजट सत्र आज समाप्ति की ओर है और सत्र के दौरान प्रतिपक्ष के सभी साथियों को लगातार सर्वाधिक समय दिया गया। उसमें चाहे किसी प्रश्न की बात हो या किसी प्रकार की चर्चा की बात हो। एक दिन में नियम-62 के अंतर्गत चार-चार चर्चाएं देना, ऐसा कभी नहीं देखा गया क्योंकि मैं भी इस मान्य सदन में पिछले 20 साल से हूं। हर किसी को समय और बोलने का मौका देने के पश्चात भी इस प्रकार की बात, विशेष तौर पर स्पीकर चेयर के प्रति जिस प्रकार से बात की गई है, घोर निन्दनीय है और मैं इसकी पूरी तरह से भर्त्सना एवं निन्दा करता हूं।"

1. <u>प्रश्नोत्तर</u>

(I) तारांकित प्रश्नः

स्थगित तारांकित प्रश्न संख्याः 85 का संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिया गया। स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 117 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिये गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 499 से 502 तक के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 503 से 542 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्नः

अतारांकित प्रश्न संख्याः 73 से 94 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. <u>स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर</u>

सचिव, विधान सभा ने निम्नलिखित उन विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी, जिन्हें सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैः-

1. **हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018 (2018 का अधिनियम संख्यांक 1); और**
2. **हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018 (2018 का अधिनियम संख्यांक 2).**

3. <u>कागजात सभा पटल पर</u>

(1) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 (वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-II) हिमाचल प्रदेश सरकार;

(ii) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 (विनियोग लेखे) हिमाचल प्रदेश सरकार;

(iii) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 (राज्य के वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार;

(iv) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) हिमाचल प्रदेश सरकार;

(v) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 (राजस्व क्षेत्र) हिमाचल प्रदेश सरकार; और

(vi) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) हिमाचल प्रदेश सरकार।

(2) **श्री अनिल शर्मा, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17;

(ii) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व और उसके अनुपालन) (तीसरा संशोधन) विनियमन, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः एचपीईआरसी/438 दिनांक 24.03.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.03.2017 को प्रकाशित;

(iii) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों से जनरेशन को बढ़ावा देना और टैरिफ निर्धारण के लिए नियमों और शर्तों) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः एचपीईआरसी/428 दिनांक 31.03.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 06.04.2017 को प्रकाशित;

(iv) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत लोकपाल के नियम एवं शर्तें) आदेश 2014 और हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (लोकपाल शिकायत निवारण फोरम ओम्बड्समैन) विनियम, 2013 के विनियमन 30 के

उप-विनियमन(4)A जोकि अधिसूचना संख्याः एचपीईआरसी/ Secy/609/B/SK/RM2017-142-146 दिनांक 18.04.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 15.06.2017 को प्रकाशित;

(v) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व और उसके अनुपालन) विनियम, 2010 के तहत वित्त वर्ष 2017-18 में वित्त वर्ष 2016-17 में आरपीओ के संबंध में अधिशेष/कमी के अनुकूलन/अक्षय ऊर्जा के समायोजन के लिए अधिसूचना संख्याः एचपीईआरसी/438 दिनांक 17.07.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.07.2017 को प्रकाशित;

(vi) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 26 के तहत एक अनुशासनकारी कार्यालय के रूप में सदस्य हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की नियुक्ति के लिए अधिसूचना संख्याः एचपीईआरसी/52 का 2001 दिनांक 27.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 03.11.2017 को प्रकाशित;

(vii) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों से जनरेशन को बढ़ावा देना और टैरिफ निर्धारण के लिए नियमों और शर्तों) विनियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः एचपीईआरसी/428 दिनांक 16.11.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.11.2017 को प्रकाशित;

(viii) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व और उसके अनुपालन) (चौथे संशोधन) विनियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः एचपीईआरसी/438 दिनांक 06.12.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 13.12.2017 को प्रकाशित;

(ix) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति) विनियम, 2004 के अन्तर्गत राज्य सलाहकार समिति (एसएसी) के पुनः गठन के संबंध में अधिसूचना संख्याः एचपीईआरसी/B(32)-1/2018 दिनांक 11.01.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 17.01.2018 को प्रकाशित; और

(x) हिमाचल प्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता, 2008 के तहत ग्रिड कोड समीक्षा समिति के गठन के लिए अधिसूचना संख्याः एचपीईआरसी/H(1)-10/2014-2600-2604 दिनांक 16.01.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 19.02.2018 को प्रकाशित ।

((ii) से (x) तक विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के परन्तुक के अन्तर्गत निर्मित नियम हैं)

(3) **श्री विपिन सिंह परमार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, रेडियोग्राफर, वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याःस्वास्थ्य-ए-बी(2)-46/2015 दिनांक 15.11.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 29.11.2017 को प्रकाशित;

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य शिक्षक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः स्वास्थ्य-ए-ए(3)-1/99 दिनांक 21.07.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 03.08.2017 को प्रकाशित;

(iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, फार्मासिस्ट, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःस्वास्थ्य-ए-ए(3)-13/2010 दिनांक 16.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.12.2017 को प्रकाशित;

(iv) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सुरक्षा और विनियमन विभाग, लोक विश्लेषक एवं रसायन परीक्षक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःस्वास्थ्य-ए-ए(3)-12/2015 दिनांक 06.10.2017

द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.11.2017 को प्रकाशित; और

(v) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः स्वास्थ्य-ए0-ए0(3)-5/2015 दिनांक 14.07.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 06.12.2017 को प्रकाशित।

मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

माननीय मुख्य मंत्री ने जिला शिमला के चिड़गांव में संगीता नाम की लड़की के अपरहण के बाद उसकी हत्या होने तथा इस बारे में दर्ज़ अभियोग/पुलिस कार्रवाई के बारे वक्तव्य दिया।

शिक्षा मंत्री द्वारा वक्तव्य

माननीय शिक्षा मंत्री ने वर्ष 2018-19 के बजट में वर्णित 'अखंड शिक्षा ज्योति, मेरे स्कूल से निकले मोती' योजना बारे वक्तव्य दिया।

4. विधायी कार्य

सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारणः

(i) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश विधान सभा मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का वेतन, भत्ते और अन्य प्रसुविधाएं विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 7)" पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु तथा श्री हर्षवर्धन चौहान सदस्यों द्वारा विधेयक के खण्ड 9 पर दिए गए अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं किए।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा ने भाग लियाः-

1. श्री राकेश सिंघा
2. श्री हर्षवर्धन चौहान
3. श्री मुकेश अग्निहोत्री
4. श्री विक्रमादित्य सिहं
5. श्री सुख राम
6. श्रीमती आशा कुमारी
7. श्री जगत सिंह नेगी
8. श्री राम लाल ठाकुर
9. श्री माननीय संसदीय कार्यमंत्री

श्री जगत सिंह नेगी, सदस्य द्वारा अपनी चर्चा के दौरान कहे गए शब्दों 'जानवर बहुमत' को लेकर श्री नरेन्द्र बरागटा द्वारा उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न पर अध्यक्ष महोदय ने 'जानवर बहुमत' शब्दों को कार्यवाही से निकाला।

माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

प्रस्ताव स्वीकार।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3, 4, 5, 6 और 7 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश विधान सभा मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का वेतन, भत्ते और अन्य प्रसुविधाएं विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 7)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का वेतन, भत्ते और अन्य प्रसुविधाएं विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 7) पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकार।

(01.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 02.00 बजे अपराह्न तक स्थगित की गई।)

(भोजनावकाश के उपरान्त सदन की बैठक 02.05 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष डॉ0 राजीव बिन्छल की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

(ii) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 8)" पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि " हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 8)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 8)पारित हुआ।

(iii) **श्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "सरदार वल्लभभाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 6)" पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा ने भाग लियाः-

1. श्री जगत सिंह नेगी
2. श्री राकेश पठानिया
3. श्री मुकेश अग्निहोत्री

माननीय शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15,16,17,18, 19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 और 56 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय शिक्षा मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "सरदार वल्लभभाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 6)"को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

सरदार वल्लभभाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 6)पारित हुआ।

5. <u>गैर-सरकारी सदस्य कार्य</u>

सर्वप्रथम पिछले गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस दिनांक 08.03.2018 को श्री अनिरूद्ध सिंह द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा हुईः-

"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में बन्दरों द्वारा किसानों/ बागवानों की फसलों को पहुंचाए गए नुकसान बारे कोई ठोस नीति बनाई जाए।"

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

1. श्री महोन लाल ब्राक्टा
2. श्री आशीष बुटेल

माननीय वन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प वापिस हुआ।

(03.20 बजे अपराह्न माननीय उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)

(ii) श्री सुख राम, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया तथा चर्चा कीः-

"यह सदन सरकार से मांग करता है कि प्राथमिक शिक्षा में स्कूलों की बढती संख्या के उपरान्त लगातार विद्यार्थियों की घटती संख्या एवं गिरते स्तर पर नीति बनायें।"

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

1. श्री इन्द्र सिंह
2. श्री बिक्रम सिंह जरयाल
3. श्री जगत सिंह नेगी
4. श्री रमेश चंद ध्वाला
5. श्री मोहन लाल ब्राक्टा
6. श्री राकेश सिंघा
7. श्री सुभाष ठाकुर
8. श्री सुन्दर सिंह ठाकुर

माननीय शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प वापिस हुआ।

(04.10 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष महेदय पदासीन हुए।)

(iii) **श्री राकेश पठानिया, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत कियाः-**

"This House may discuss the illegal mining in the State and recommends to the Govt. to form a policy."

सभा द्वारा संकल्प को अगले सत्र के दौरान गैर-सरकारी सदस्य दिवस पर चर्चा हेतु लेने का निर्णय लिया गया।

(iv) **श्री हर्षवर्धन चौहान ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत कियाः-**

"यह सदन केंद्र सरकार से पुरजोर सिफारिश करता है कि जिला सिरमौर के ट्रांसगिरी क्षेत्र की शिलाई, संगडाह, कमरऊ व राजगढ

तहसीलों तथा आजबोझ क्षेत्र की नघेता, अम्बोआ, डाण्डा-पागर, शिवा, बनौर, डाण्डा, काला अम्ब तथा भडाना पंचायतों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 342(1)(2) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाए।"

संकल्प प्रस्तुति पर माननीय अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित व्यवस्था दी गईः-

"इसमें अभी तक सदन की जो परिपाटी है जो यह है कि केवल एक प्रस्ताव अंतिम समय में इंट्रोड्यूस किया जाता रहा है और उसी के ऊपर चर्चा अगली बार होती है। जो शेष प्रस्ताव रहते हैं, वे सब ड्रॉप हो जाते हैं। इन्हें नए सिरे से देने का प्रावधान है। आप तो बहुत पुराने सदस्य हैं। अगर यह नई परिपाटी कभी शुरू हो जाएगी तो फिर इसको भी मान्यता देंगे। "

सत्र का समापन

माननीय मुख्य मंत्री ने सत्र के समापन अवसर पर अपने उद्‌गार प्रस्तुत करते हुए कहा कि नई सरकार का यह पहला बजट सत्र था। प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। विधान सभा के अन्दर मैं वर्षों से हूं लेकिन उसके बावजूद भी यह मेरे लिए नई जिम्मेवारी थी। इस जिम्मेवारी के निर्वहन की एक बहुत बड़ी परख विधान सभा सत्र में होती है जो कि इस बजट सत्र के रूप में पूरी होने जा रही है। मुख्य मंत्री ने माननीय अध्यक्ष द्वारा बेहतरीन ढंग से सदन संचालन करने के लिए उनकी तारीफ़ की। इसके साथ उन्होंने माननीय उपाध्यक्ष, मंत्रिमण्डल के सदस्यों, नेता कांग्रेस विधायक दल, सत्तापक्ष और विपक्ष के माननीय विधायकों विशेषकर पूर्व मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह, प्रदेश सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों विशेष कर विधान सभा के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा मीडिया का सत्र को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए धन्यवाद किया।

इस अवसर पर नेता क्रांगेस विधायक दल श्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि वह माननीय मुख्य मंत्री द्वारा सत्र संचालन में सभी पक्षों की ओर से दिए गए सहयोग बारे किए गए उल्लेख से अपनी पूर्ण सहमति जताते हैं। अपनी अहम् भूमिका निभाने के लिए विपक्ष को प्रक्रियाओं, प्रथाओं एवं परम्पराओं के अनुसार विरोध प्रकट करना

पड़ता है। जहां दो दल होंगे वह कुछ टकराव तो होंगे ही, कुछ नोंकझोंक भी होगी। लेकिन इस सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा इस भूमिका को पूरा करते हुए भी सदन में अमन-चैन बरकरार रखा गया तथा कार्यवाही के नियमानुसार संचालन में सहयोगात्मक भूमिका निभाई गई। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह द्वारा सदन में सक्रिय रूप से उपस्थित रहने का उल्लेख करते हुए उनकी सराहना की। श्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विधायकगण समाजिक जीवन में कार्यरत रहते है इसलिए सामाजिक जीवन में एक-दूसरे का सम्मान करना उनकी जिम्मेवारी है। उन्होंने अपने दल की ओर से अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को सदन की कार्यवाही सफलतापूर्वक संचलित करने के लिए बधाई दी।

माननीय अध्यक्ष ने सदन के समापन पर निम्न शब्दों में अपने उद्‌गार प्रकट किए-

"आज बजट सत्र समाप्ति की ओर है। इस सत्र के दौरान कुल 17 बैठकें आयोजित हुईं जिनमें अनुपूरक बजट के पारण के साथ बजट अनुमानों पर समान्य चर्चा तथा बजट की अनुदान मांगों पर विचार-विमर्श एवं पारण के अतिरिक्त जनहित के महत्वपूर्ण विषयों पर प्रश्नों व अन्य सूचनाओं के माध्यम से चर्चा हुई व सुझाव दिए गये जिनके दूरगामी परिणाम होंगे। सत्र के दौरान माननीय सदस्यों ने विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से प्रदेशहित के अनेक विषयों पर बहुमूल्य सुझाव दिए। इस सत्र के दौरान कुल मिला कर 727 तारांकित तथा 129 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं पर सरकार द्वारा उत्तर उपलब्ध करवाए गए।

नियम-62 के अन्तर्गत 6 विषयों पर चर्चा की गई। नियम-130 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव पर चर्चा हुई तथा विशेष उल्लेख के माध्यम से लोक महत्व के विषयों पर सरकार द्वारा वस्तुस्थिति बताई गई। नियम 101 के अन्तर्गत गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत किए गए जिन पर सार्थक चर्चा की गई तथा माननीय सदस्यों ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिये।

8 सरकारी विधेयक भी सभा में पुरःस्थापित एवं सार्थक चर्चा उपरान्त पारित हुए। नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से 4 विषय सभा में उठाये गये तथा सरकार द्वारा इस संबंध में वस्तुस्थिति की सूचना सभा को दी गई।

सभा की समितियों ने भी 48 प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत एवं उपस्थापित किये।

इसके अतिरिक्त मंत्रियों द्वारा अपने-अपने विभागों से संबंधित दस्तावेज भी सभा पटल पर रखे गए।

सत्र के दौरान मेरा भरसक प्रयास रहा कि सत्र की कार्यवाही सौहार्दपूर्ण वातातरण में चले जिसमें मैं काफी हद तक कामयाब भी रहा। मैं माननीय मुख्य मंत्री, कांग्रेस विधायक दल के नेता एवं पूर्व मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह के सहयोग का भी धन्यवादी हूं जिनकी वजह से मैं इस माननीय सदन की कार्यवाही का सुचारू रूप से संचालन कर पाया।

मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री का भी धन्यवादी हूं जिन्होंने सदन में दोनों पक्षों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखा। मैं अपने सहयोगी माननीय उपाध्यक्ष, विधान सभा व सभापति तालिका के सदस्यों, जिन्होंने कार्यवाही के संचालन में बहुमूल्य सहयोग दिया, का भी धन्यवाद करना चाहता हूं।

मैं अपने सचिवालय के सचिव और समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों/कर्मचारियों के सहयोग के लिए भी आभारी हूं जिन्होंने इस सत्र को दिन-रात कार्यकर विधान सभा सत्र से संबंधित कार्य को समयबद्ध तरीके से निपटाने में पूर्ण सहयोग दिया।

मैं प्रिंट एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया के मित्रों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने विधान सभा की कार्यवाही को प्रदेश के जन-जन तक पहुंचाने में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मैं इस माननीय सदन के समस्त सदस्यों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने इस सदन की समय सीमाओं और नियमों का पालन किया। यदि किसी माननीय सदस्य को समय न मिल पाया हो तो क्षमा करें।

जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि वे पहली बार प्रदेश के मुख्य मंत्री बने हैं, अलबत्ता पांच बार से इस सदन के सदस्य हैं, वही स्थिति मेरी भी है। मैं इस सदन में पांच बार यानी 20 वर्ष से हूं परन्तु अध्यक्ष के नाते इस दायित्व का निर्वहन मैं भी पहली बार कर रहा हूं। अनेक कमियां भी मेरे द्वारा रही होंगी। किसी भी माननीय सदस्य को मेरी किसी कमी के कारण दुःख पहुंचा हो तो मैं प्रयास करूंगा कि आने वाले समय में अपनी कार्यशैली को और बेहतर करते हुए सदन के संचालन में आपका सहयोग करूं। मेरा इतना ही कहना है कि ये सदन माननीय सदस्यों की

आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए और हिमाचल की जनता के विषयों को सदन में ला कर सरकार तक पहुंचाने के लिए बना है। उसके अंदर मेरा जो रोल है, वह सभी को इस विषय में नियमों की परिधि में रहते हुए समय उपलब्ध करवाना है। कई बार समय की कमी रहती है। कई बार माननीय सदस्यों की अपेक्षाएं अधिक रहती हैं और उसमें अनेक बार हमको इस आसन की शक्तियों का उपयोग करते हुए कार्य करना पड़ता है।

(राष्ट्रीय गीत गाया गया।)

(05.05 बजे सायं सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।)